UPSN010007652026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।

उपस्थित :– (डॉ० अमित वर्मा) जे.ओ. कोड–यू.पी.2412

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–252/2026

कन्हैयालाल गौतम उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र स्व० हरीराम गौतम, निवासी नेवादाखास थाना कपसेठी जनपद वाराणसी हाल पता बेनीपुर गणेशपुर प्राथमिक विद्यालय जू०हा०स्कूल के सामने सरकारी अस्पताल थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी।

.....प्रार्थी/ अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन

मु०अ०सं०–32/2026
धारा–303 (2), 317(2), 317(4), 318(4), बी०एन०एस०
थाना औराई जिला भदोही।

दिनांक 25.03.2026

1. नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त कन्हैयालाल गौतम उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र स्व० हरीराम गौतम, निवासी नेवादाखास थाना कपसेठी जनपद वाराणसी हाल पता बेनीपुर गणेशपुर प्राथमिक विद्यालय जू०हा०स्कूल के सामने सरकारी अस्पताल थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी, के नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित मु०अ०सं०–32/2026,धारा–303(2),317(2),317(4),318(4) बी०एन०एस०,थाना–औराई,जनपद भदोही, पर सुना गया।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उपरोक्त अपराध संख्या में प्रार्थी को झूठे फसाया गया है प्रार्थी निर्दोष है और कोई अपराध कारित नही किया है। यह कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन नही है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थनापत्र दिया गया था जो सरसरी तौर पर खारिज फरमाई गयी खारिज आदेश जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। यह कि उपरोक्त मुकदमा अज्ञात एफ०आई०आर० के रुप मे दर्ज हुई है, घटना दिनांक 09.02.2026 समय अज्ञात थाने में सूचना की रिपोर्ट दिनांक 09.02.2026 समय 23:26 बजे जो कई घण्टे देरी से दर्ज करायी गयी है। यह कि वादी मुकदमा लल्लन यादव द्वारा बताया गया कि 2 लोग खड़े थे वे लोग बोले कि तुम अपना एटीएम दो तुम्हारा पैसा निकाल देते है और वे लोग एटीएम ले लिये और कहे कि पैसा नही निकल रहा है और वे लोग हमारा एटीएम लेकर चले गये और दूसरा एटीएम हमे दे दिये कुछ ही देर के बाद मेरा पैसा घोसिया माधोसिंह स्टेट बैंक से निकाल लिये यही एफ०आई०आर० मे वर्णन है। यह कि थाना औराई की पुलिस प्रार्थी को घर से पकड़कर लाई थी और प्रार्थी की मोटरसाईकिल भी घर से लाया है प्रार्थी के पास से कोई एटीएम

कार्ड बरामद नही हुआ है और न ही कोई पैसा बरामद हुआ है। कथित बरामदगी फर्जी व झूठ है। यह कि फर्द बरामदगी पर किसी स्वतंत्र साक्षी का हस्ताक्षर नही है और प्रार्थी को इस मुकदमें में फर्जी तरीके से मुल्जिम बनाया गया है। यह कि एफ.आई.आर. अज्ञात मे दर्ज करायी गयी है और थाना औराई द्वारा वादी मुकदमा को बुलाकर थाने पर प्रार्थी का पहचान कराया गया। जबकि प्रार्थी इस घटना में शामिल नहीं था। यह कि थाना औराई द्वारा इस मुकदमें में प्रार्थी के लड़के को फर्जी तरीके से नाम दर्ज होना बताया जा रहा है जबकि मेरे द्वारा पुलिस को ऐसा कोई बयान नही दिया गया है प्रार्थी का लड़का बाहर नौकरी करता है और वह घर पर नही है। यह कि प्रार्थी के विरुद्ध इसके पूर्व जो मुकदमें थे उसमे वह दोषमुक्त हो गया है। थाना औराई प्रार्थी के विरुद्ध फर्जी तरीके से इस मुकदमें में वांछित किया गया है। यह कि प्रार्थी अपनी जमानत मुचलका देने को तैयार है जमानत मुचलका पर रिहा होने पर जमानत मुचलका का कोई दुरुपयोग नही करेगा। अतः श्रीमान्जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को उचित जमानत मुचलका पर रिहा करें ताकि न्याय हो।

3. अभियोजन कथानक अनुसार प्रार्थी लल्लन यादव पुत्र मोहन यादव निवासी सहसेपुर औराई का मूल निवासी है, दिनांक 9.2.2026 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा मे प्रार्थी अपना एटीएम लेकर गया था, कि दो लोग खड़े थे तो बोले कि अपना एटीएम दे दो तुमारा पैसा निकाल दे तो प्रार्थी ने दे दिया तो वे लोग प्रार्थी का एटीएम लगा कर कहे कि एटीएम मे पैसे नहीं है और प्रार्थी को एक दुसरा एटीएम दे दिया वे लोग प्रार्थी का एटीएम दुसरे जगह लगाकर पैसे निकाले, उसके बाद प्रार्थी ने पता लगाया तो पता चला की भारतीय स्टेट बैंक माधोसिह घोसिया से निकाला गया है, प्रार्थी का एटीएम न0 04555001 है । उपरोक्त सूचनानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बंधित थाने में अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुई। विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया।

4. विद्वान् ए.डी.जी.सी. (फौजदारी) भदोही के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि फर्द बरामदगी के अनुसार पुलिस द्वारा पकडे जाने के वक्त अभियुक्त के कब्जे से रूपए 5620, एक अदद आधार कार्ड व उपरोक्त घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, अभियुक्त तथाकथित घटना में संलिप्त रहा है। जमानत पर छूटने पर पुनः इसी प्रकार के अपराध में संलिप्त हो जायेगा और जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत के आधार पर्याप्त न होने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान् ए.डी.जी.सी. (फौजदारी) भदोही के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है वादी मुकदमा द्वारा यह कथन करते हुए अज्ञात में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दो अज्ञात लोगों द्वारा यह कह कर उसका एटीएम माँगा गया कि प्रार्थी का पैसा निकल दे, लेकिन फिर एटीएम में पैसा नहीं है कहते हुए पैसा नहीं निकला गया और प्रार्थी को एक दूसरा एटीएम दे दिया गया और कुछ देर बाद प्रार्थी के ही एटीएम से उक्त अज्ञात लोगों द्वारा पैसा निकल लिया गया। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। प्रार्थी /अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है की प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, कथित घटना अथवा फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र या पब्लिक साक्षी

नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि उक्त अज्ञात लोगों ने उसका एटीएम ले लिया और उसे दूसरा एटीएम दे दिया था। उस दूसरे एटीएम की जानकारी के लिए थाना औराई को आदेशित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना औराई द्वारा आख्या प्रेषित की गई, जिसके अनुसार वादी से प्राप्त एटीएम के बारे में पता कराया गया तो पता चला की अभियुक्त द्वारा जो एटीएम वादी को दिया गया है वह एटीएम खाता धारक धर्मेंद्र कुमार पुत्र राम प्रसाद का है। फर्द बरामदगी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से वादी का कोई एटीएम बरामद नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण दोष पर विचार व्यक्त करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त हैं, तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त कन्हैयालाल गौतम उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र स्व० हरीराम गौतम, निवासी नेवादाखास थाना कपसेठी जनपद वाराणसी हाल पता बेनीपुर गणेशपुर प्राथमिक विद्यालय जू०हा०स्कूल के सामने सरकारी अस्पताल थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी, का जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित मु०अ०सं०–32/2026, धारा–303(2), 317(2), 317(4), 318(4) बी०एन०एस०, थाना–औराई, जनपद भदोही, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को 50,000/– रूपये की दो जमानतें व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाये।

1. प्रार्थी/अभियुक्त बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जायेगा और अपने निवास को परिवर्तित नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य/साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित/टेम्पर करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा और विचारण में सहयोग करेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पर जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा।

चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है, अतः कार्यालय आदेश की प्रति जेल अधीक्षक जिला कारगर, ज्ञानपुर भदोही को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करे कि आदेश का इन्द्राज e–prison software पर करें और यदि सात दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करे। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना संबंधित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है, को अविलम्ब प्रेषित करें। जमानत आदेश की प्रति मूल पत्रावली /रिमाण्ड शीट पर रखी जाए।

दिनांक 25.03.2026

(डॉ० अमित वर्मा)
आई. डी.–यू.पी.2412
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.03.31 15:19:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court